रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246925
CG-DL-E-01072023-246925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
No. 377] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 2023

सा.का.नि. 466 (अ):— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) केनियम 3 में, -

(क) खंड (क) में, उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i)" स्वामित्व का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा धारित है:

परंतु यदि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र किसी संबद्ध कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा उस संबद्ध कंपनी में स्वामित्व का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून धारित हो; और";

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) "कैप्टिव प्रयोक्ता" से किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम प्रयोक्ता अभिप्रेत होगा और "कैप्टिव उपयोग" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगाः

परंतु कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से हो सकेगा:

परंतु यह और कि किसी कंपनी, जो एक विद्यमान कैप्टिव प्रयोक्ता है, की सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में यथा परिभाषित, द्वारा उपभोग भीकैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

(4क) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि समुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी;

(4ख) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि, अधिनियम के लागू होने की तारीख से पच्चीस वर्ष होगी;

(4ग) अधिनियम की धारा 14 के अधीनसमुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति और उक्त धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अधीनसमझी गई अनुज्ञप्ति को, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, नवीनीकृत माना जाएगा:

परंतु ऐसा नवीनीकरण, एक बार में पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उससे कम अवधि के लिए होगा:

परंतु यह और कि जहां समुचित आयोग ने इन नियमों की अधिसूचना से पहले अनुज्ञप्ति का किसी विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकरण किया हो, तो इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को उस विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकृत माना जाएगा।

परंतु यह और कि यह नियम अधिनियम की धारा 63 के अधीन, टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयनित, पारेषण विकासकर्ताओं को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति पर लागू नहीं होगा।

4. उक्त नियम के, नियम 19 में -

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ग) के परंतुक में, "कार्यान्वयन अभिकरण" शब्दों के स्थान पर, "मध्यस्थ खरीददार" शब्दरखे जाएंगे; और

(ii) खंड (ड) में, 'सार्वजनिक करेगी' शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम खरीददारों" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम में,

(क) अनुसूची-1में,-

(i) "किसी विशेष माह के लिए टैरिफ की संगणना पूल से अंतिम खरीददार को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर की जाती है, जैसे कि मध्यस्थ खरीददार द्वारा सौर ऊर्जा केंद्रीय पूल, पवन ऊर्जा केंद्रीय पूल और विद्युत की ऐसी आपूर्ति के लिए देय भुगतान योग्य वास्तविक राशि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:"

शब्दों के स्थान पर,"किसी विशिष्ट माह के लिए टैरिफ की संगणना मध्यस्थ खरीददार द्वारा केंद्रीय पूल (अर्थात् सौर विद्युत केंद्रीय पूल, पवन विद्युत केंद्रीय पूल आदि) से अंतिम खरीददार को निर्धारित की गई ऊर्जा के आधार पर की जाती हैऔर ऐसी निर्धारित ऊर्जा के लिए संदेय की जाने वाली वास्तविक रकम नीचे दिए गए दृष्टांतानुसार होगी:" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) सारणी 1 और सारणी 2 में, स्तंभ (5) में, "माह के दौरान आपूर्ति की गई शेड्यूल ऊर्जा" शब्दों के स्थान पर, "मास के दौरान अनुसूचित ऊर्जा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची-2 के,-

(i) पैरा 1 के, उप-पैरा(7) की, मद (ii) में, "6 (i)" अंक कोष्ठकों, एवं अक्षर के स्थान पर, "उप-पैरा(7) की मद (i)" शब्द कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) पैरा3 के शीर्षक को, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना हेतु सूत्र”;

(iii) सूत्र में, "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत" अक्षर और शब्दों के स्थान पर "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत (ईंधन लागत में परिवर्तन सहित)" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 (अ),तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 667 (अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2006 तथा अधिसूचना संख्या 817 (अ),तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-

(a) in clause (a), for sub-clause (i),the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(i) “not less than twenty-six per cent. of the ownership is held by the captive user:

Provided that if the Captive Generating Plant is set up by an affiliate company, not less than fifty-one per cent.of the ownership, is held by the captive user, in that affiliate company;and”;

(b) in the Explanationoccurring after sub-rule (2), for clause (b), the following shall be substituted,namely:-

‘(b) “captive user” shall mean the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plantand the term “captive use” shall be construed accordingly:

Provided that the consumption of electricity by the captive user may beeither directly or through Energy Storage System:

Provided further that the consumption by a subsidiary company, as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive user.'.

3. In the said rules, after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:-

(4A) Where any entity has been granted licence under section 14 of the Act, the period of the licence shall be in accordance with the terms and conditions of the licence granted by the Appropriate Commission;

(4B) Where an entity is a deemed licensee under the first, second and fifth proviso to section 14 of the Act, the period of the licence shall be twenty five years from the date of the coming into force of the Act;

(4C) The licence granted by the Appropriate Commission under section 14 of the Actand the deemed licence under first, second and fifth proviso to said section 14 shall be deemed to be renewed unless the same is revoked:

Provided that such renewal,shall be for a period of twenty five years at a time or for a lesser period, if requested by the licensee:

Provided further that where the Appropriate Commission has renewed the licence for a particular period before the notification of these rules, the licence shall be deemed to be renewed for that particular period under these rules.

Provided also that this rule shall not apply to the licence granted to transmission developers, selected through tariff based bidding, under section 63of the Act.

4. In the said rules, in Rule 19.-

(A) in sub-rule (1),-

(i) in proviso to clause (c), for the word "implementing agency", the words "intermediary procurer", shall be substituted; and

(ii) in clause (m), for the word 'provide public', the words"publish" shall be substituted;

(B) in sub-rule (2), for the words "renewable energy generators", the words "end procurers" shall be substituted.

5. In the said Rules,

(A) in Schedule-I,-

(i) for the words "Tariff for a particular month is calculated based on actual energy supplied to end procurer from the Pool like that solar power central pool, wind power central pool by the intermediary procurer and actual amount to be payable for such supply of power as illustrated below:" the words "Tariff for a particular Month is calculated based on Energy Scheduled to end procurer from the Central Pool (i.e. Solar Power Central Pool, Wind Power Central Pool etc.) by the Intermediary Procurer and the actual amount to be payable for such scheduled energy as illustrated below:" shall be substituted;

(ii) in Table 1 and 2, in column (5), for the words "Schedule Energy supplied during the Month", the words "Energy Scheduled during the month" shall be substituted;

(B) in Schedule II,-

(i) in paragraph 1, in sub-paragraph (7), in item (ii), for the figures brackets, and letters "6(i)", the words, brackets, letters and figures"item (i) of sub-paragraph (7)" shall be substituted;

(ii) the heading of paragraph 3 shall be substituted, namely:-

"2. Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge";

(iii) in paragraph 3, for serial numbers (4), (5) and (6), the serial numbers (1), (2) and (3) shall be substituted; and

(iv) in Formula, for the letter and words “C is incremental Average Power Purchase Cost” the letter and words “C is incremental Average Power Purchase Cost (including the change of fuel cost)” shall be substituted.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and subsequent amendments vide notification number G.S.R 667 (E), dated the 26th October, 2006 and notification number G.S.R. 817 (E) dated 31st December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA